

UPJB010033592026



न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं०-1 अमरोहा
 द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-838/2026
 वाजिद उर्फ भूरा पुत्र जरीफ निवासी बादल गुम्बद थाना नखासा जिला सम्भल।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन/विपक्षी

अपराध संख्या-25/2018, एस०टी० नं० 169/2018

एस०टी० नं० 169/2018

धारा 307,411,413,414,420 भा०दं०सं०

थाना-डिडौली, जिला अमरोहा

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

02.06.2026:-यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त वाजिद उर्फ भूरा की ओर से अपराध संख्या 25/2018, एस०टी० नं० 169/2018 धारा-307,411,413,414,420 भा०दं०सं० थाना डिडौली, जिला अमरोहा के अन्तर्गत जमानत हेतु दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा जारी बिना जमानतीय अधिपत्र पर अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उसे झूठा फसाया गया है वह निर्दोष है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी दिनांक 19.08.2023 को मुकदमा अ०सं० 568/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना डिडौली से जिला कारागार में निरुद्ध होने के कारण न्यायालय में नियत तिथि पर न आ सका और प्रार्थी के विरुद्ध एन०बी०डब्लू० वारण्ट आदेश जारी हो गये। प्रार्थी दिनांक 29.07.2024 को अभियुक्त का धारा 309 दं०प्र०सं० का वारंट बनाया गया। अभियुक्त दिनांक 29.07.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी नियत दिनाकों पर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि वह काफी समय से अनुपस्थित चल रहा था जिस कारण वाद के विचारण में विलम्ब कारित हुआ तथ भविष्य में वह अनुपस्थित हो जायेगा है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था।

प्रार्थी दिनांक 19.08.2023 को मुकदमा अ0सं0 568/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना डिडौली से जिला कारागार में निरुद्ध होने के कारण न्यायालय में नियत तिथि पर न आ सका और प्रार्थी के विरुद्ध एन0बी0डब्लू0 वारण्ट आदेश जारी हो गये। प्रार्थी दिनांक 29.07.2024 को अभियुक्त का धारा 309 दं0प्र0सं0 का वारंट बनाया गया। अभियुक्त दिनांक 29.07.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी नियत दिनांकों पर न्यायालय हाजिर आता रहेगा।

चूँकि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा अभियुक्त के गैर हाजिर होने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी हो गये थे क्योंकि अभियुक्त अन्य मुकदमें में जेल में निरुद्ध था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा भविष्य में नियत तिथि पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29.07.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

मेरी राय में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त वाजिद उर्फ भूरा का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपराध संख्या 25/2018,एस0टी0 नं0 169/2018 धारा— 307,411,413,414,420 भा0दं0सं0 थाना डिडौली, जिला अमरोहा के मामले में स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिंग 1,00,000/—रुपये का निजी बन्ध पत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू तथा निम्नलिखित आशय की अन्डरटेकिंग दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है:—

1— आवेदक/अभियुक्त दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जावेगा।

2— आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3— आवेदक/अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4—आवेदक/अभियुक्त गवाह के आने, बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

यह कि उक्त शर्तों का प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(शाकिर हसन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—1,
अमरोहा।

आई0डी0 न0 यू0पी0—2416